

-: आदेश :-

उपरोक्त प्रार्थियों ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर उपरोक्त प्रकार अभिलेख दुरस्ती हेतु निवेदन किया है एवं इस दुरस्ती को करने हेतु सहमति लिखित में दी गयी है। उप तहसीलदार द्वारा भी सहमति व्यक्त की गई है। उक्त दुरस्ती वस्तुतः लिपिकीय त्रुटि सुधार की संज्ञा में आती है। अंकित इन्द्राज दुरस्ती परस्पर सहमति से किये जाने हेतु प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है तथा अभिलेख के आधार पर भी उक्त इन्द्राज दुरस्ती राजस्व अभिलेख में होने योग्य है। अतः निम्नलिखित इन्द्राज दुरस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं :-

पूर्व इन्द्राज					स्वीकृत किया गया इन्द्राज		
1	2	3	4	5	6	7	8
ग्राम का नाम	खेता संख्या	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा	खातेदार का नाम	खसरा संख्या	रकबा
पल्लवपुरा	14	भण्डारकर पुत्री	177	0.27	पुल्लवपुरा	177	0.27
		बजरंगलाल हि/118	477	3.79	बजरंगलाल हि/118	477	3.79
		जालीराजपुरा ली	495	4.43	जालीराजपुरा	495	4.43
		पेट	639	4.88	ला-डे	639	4.88

क्रमांक :- शानकम / PGKSA/21/07

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- उप तहसीलदार, मौलासर

क्रमांक :-

प्रतिलिपि पालनार्थ :-

- पटवार हल्का रत्न/१५५ को भेजकर लेख है कि अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो निर्णयानुसार पालना सुनिश्चित करें।

शिविर प्रमारी
शिविर प्रमारी

(अतिरिक्त-जिला कलक्टर की खण्डा)

PGKSA-2021, पं.स. मौलासर

दिनांक :- 06/10/21

शिविर प्रमारी
शिविर प्रमारी

(अतिरिक्त-जिला कलक्टर की खण्डा)

PGKSA-2021, पं.स. मौलासर

दिनांक :-

उप तहसीलदार, मौलासर